संख्या-57/2020/1063/26-3-2020-10(28)/1999

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल2020

विषय:**चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225 व 2235 पर संचालित अधिष्ठान/योजनाओं से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियां के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-5104-06/ स0क0/ लेखा-बजट/वित्तीय-स्वीकृतियां/2019-20, दिनांक 31.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-" एवं "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्चो को वहन करने के लिए कुल प्राविधानित धनराशि **रू0-285213.40 लाख (रू0 अठ्ठाइस अरब बावन करोड़ तेरह लाख चालीस हजार मात्र)** के सापेक्ष **कुल रू0-284623.43 लाख (रू0-अठ्ठाइस अरब छियालीस करोड़ तेईस लाख तेतालीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2020-21 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231 /2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध मंे बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

संख्या-57/2020/1063(1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या– 57/2020/1380/26–3–2020–10(28)/99, दिनांक– 01 अप्रैल, 2020 का संलग्नक।

रू0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	आय–व्ययक प्राविधान वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वित्तीय स्वीकृतियां
1	2	3
राजस्व लेखा		
2013–मंत्री परिषद		
105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान		
03–समाज कल्याण मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान		
42–अन्य व्यय	0.35	0.35
योग : 105	0.35	0.35
योग : 2013	0.35	0.35
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01– अनुसूचित जातियों का कल्याण		
001– निदेशन तथा प्रशासन		
03– मुख्यालय अधिष्ठान		
01– वेतन	1104.16	1104.16
02–मजदूरी	6.00	6.00
03–मंहगाई भत्ता	276.04	276.04
04–यात्रा व्यय	10.00	10.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
06– अन्य भत्ते	1.10	1.10
07–मानदेय	0.25	0.25
08–कार्यालय व्यय	80.00	80.00
09–विद्युत देय	65.00	65.00
10–जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.85	25.85
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11.00	11.00
13–टेलीफोन पर व्यय	4.50	4.50
14–मोटर गाडियों का क्रय	0.00	0.00
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	54.00	54.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30.00	30.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	10.00
18–प्रकाशन	2.00	2.00
29–अनुरक्षण	12.00	12.00
42–अन्य व्यय	5.00	5.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	10.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00	25.00
49–चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
51–वर्दी व्यय	0.80	0.80
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	84.26	84.26

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

56–नगर प्रतिकर भत्ता	15.20	15.20
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.20	15.20
योग : 03	**1923.86**	**1923.86**
04– मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान		
01–वेतन	618.00	618.00
03–मंहगाई भत्ता	154.50	154.50
04–यात्रा व्यय	5.50	5.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06–अन्य भत्ते	6.00	6.00
07–मानदेय	0.15	0.15
08–कार्यालय व्यय	52.47	52.47
09–विद्युत देय	33.00	33.00
10–जलकर/जल प्रभार	2.75	2.75
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छमाई	25.65	25.65
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.05	6.05
13–टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
14–मोटर गाडियों का क्रय	0.00	0.00
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	64.80	64.80
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	25.60	25.60
42–अन्य व्यय	0.55	0.55
45–अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	23.10	23.10
49–चिकित्सा व्यय	9.24	9.24
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	34.06	34.06
56–नगर प्रतिकर भत्ता	3.40	3.40
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग : 04	**1089.32**	**1089.32**
05– जिला कार्यालयों का अधिष्ठान		
01–वेतन	4012.88	4012.88
03–मंहगाई भत्ता	1003.22	1003.22
04–यात्रा व्यय	36.85	36.85
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	11.55	11.55
06–अन्य भत्ते	5.00	5.00
07–मानदेय	1.50	1.50
08–कार्यालय व्यय	240.20	240.20
09–विद्युत देय	80.00	80.00
10–जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छमाई	44.66	44.66
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.61	20.61
13–टेलीफोन पर व्यय	22.50	22.50
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	225.00	225.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.00	6.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	15.00	15.00
42–अन्य व्यय	8.53	8.53
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.75	7.75
45–अवकाश यात्रा व्यय	10.75	10.75
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	11.00	11.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	67.00	67.00
49–चिकित्सा व्यय	100.00	100.00
51–वर्दी व्यय	3.10	3.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	210.99	210.99
56–नगर प्रतिकर भत्ता	65.01	65.01
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	8.00
योग : 05	**6227.10**	**6227.10**
योग : 001	**9240.28**	**9240.28**
102 –आर्थिक विकास		
03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम		
प्रोत्साहन योजना		
01–वेतन	110.46	110.46
03–मंहगाई भत्ता	27.62	27.62
04–यात्रा व्यय	0.30	0.30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	0.50	0.50
07–मानदेय	0.50	0.50
08–कार्यालय व्यय	0.90	0.90
09–विद्युत देय	1.10	1.10
10–जलकर/जल प्रभार	0.22	0.22
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.45	0.45
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.45	0.45
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30
49–चिकित्सा व्यय	0.60	0.60
51–वर्दी व्यय	0.05	0.05
52–पुनरीक्षित वेतन अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	7.00	7.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.33	1.33
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
योग : 03	**154.28**	**154.28**
योग : 102	**154.28**	**154.28**
277–शिक्षा		
01– केन्द्र प्रयोजित योजनाए		
01– अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति		
21– छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	25000.00	25000.00
03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
01–वेतन	671.76	671.76

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03–मंहगाई भत्ता	167.94	167.94
04–यात्रा व्यय	0.75	0.75
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	1.60	1.60
08–कार्यालय व्यय	31.46	31.46
09–विद्युत देय	72.60	72.60
10–जलकर/जल प्रभार	3.00	3.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.32	1.32
12–कायालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.68	4.68
13–टेलीफोन पर व्यय	0.75	0.75
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्राल आदि की खरीद	1.00	1.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.25	1.25
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2.70	2.70
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	3.30	3.30
29–अनुरक्षण	3.85	3.85
39–औषधि तथा रसायन	1.10	1.10
42–अन्य व्यय	0.77	0.77
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.43	1.43
45–अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.75	2.75
49–चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51–वर्दी व्यय	0.20	0.20
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	40.34	40.34
56–नगर प्रतिकर भत्ता	12.44	12.44
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग : 03	**1046.49**	**1046.49**
04– अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास		
01–वेतन	1905.63	1905.63
02–मजदूरी	22.00	22.00
03–मंहगाई भत्ता	476.41	476.41
04–यात्रा व्यय	3.30	3.30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.10	1.10
06–अन्य भत्ते	3.00	3.00
07–मानदेय	1.50	1.50
08–कार्यालय व्यय	17.60	17.60
09–विद्युत देय	900.00	900.00
10–जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.32	8.32
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	23.10	23.10
13–टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.60
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	10.00
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	33.00	33.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

29–अनुरक्षण	44.00	44.00
42–अन्य व्यय	28.60	28.60
45–अवकाश यात्रा व्यय	9.00	9.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.60	3.60
49–चिकित्सा व्यय	27.60	27.60
51–वर्दी व्यय	1.00	1.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	100.24	100.24
56–नगर प्रतिकर भत्ता	30.88	30.88
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	48.40	48.40
योग : 04	**3711.88**	**3711.88**
07–विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार विस्तार (जिला योजना)		
20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	300.00	150.00
31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन)	20718.26	20718.26
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	0.00
योग : 07	**21018.26**	**20868.26**
09– ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय		
01–वेतन	1893.67	1893.67
02–मजदूरी	22.00	22.00
03–मंहगाई भत्ता	473.42	473.42
04–यात्रा व्यय	5.50	5.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06–अन्य भत्ते	5.00	5.00
07–मानदेय	6.00	6.00
08–कार्यालय व्यय	17.60	17.60
09–विद्युत देय	700.00	700.00
10–जलकर/जल प्रभार	6.00	6.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.66	6.66
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	19.36	19.36
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00	20.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	10.00
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00	10.00
29–अनुरक्षण	16.50	16.50
39–औषधि तथा रसायन	13.20	13.20
41–भोजन व्यय	363.00	363.00
42–अन्य व्यय	3.30	3.30
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.87	1.87
45–अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	1.50
49–चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51–वर्दी व्यय	0.60	0.60
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	103.08	103.08
56–नगर प्रतिकर भत्ता	31.72	31.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	270.00	270.00
योग : 09	**4022.98**	**4022.98**
10–अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता		
1001–राज्य योजना		
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00
13–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना		
01–वेतन	126.07	126.07
03–महगाई भत्ता	31.52	31.52
04–यात्रा व्यय	0.40	0.40
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	30.00	30.00
08–कार्यालय व्यय	4.00	4.00
09–विद्युत देय	50.00	50.00
10–जलकर/जल प्रभार	120.00	120.00
11–लेखन सामग और फार्मों की छपाई	3.30	3.30
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50	5.50
13–टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	54.25	54.25
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	10.00	10.00
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	1.00
29–अनुरक्षण	1.10	1.10
41–भोजन व्यय	35.00	35.00
42–अन्य व्यय	0.50	0.50
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	4.85	4.85
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.10	1.10
49–चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51–वर्दी व्यय	0.20	0.20
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	7.35	7.35
56–नगर प्रतिकर भत्ता	2.05	2.05
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग : 13	**510.69**	**510.69**
15–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता		
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	**0.00**	**0.00**
19–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति		
21– छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	73000.00	73000.00
20– मैला, उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तिओं के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति		
21– छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग : 277	128310.30	128160.30
793– अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता		
03– मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था		
01–वेतन	6691.91	6691.91
03–मंहगाई भत्ता	1672.98	1672.98
04–यात्रा व्यय	30.80	30.80
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.80	5.80
06–अन्य भत्ते	20.00	20.00
07–मानदेय	0.15	0.15
08–कार्यालय व्यय	9.52	9.52
09–विद्युत देय	8.00	8.00
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.86	2.86
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.40	4.40
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	125.00	125.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.50	1.50
42–अन्य व्यय	2.90	2.90
45–अवकाश यात्रा व्यय	5.65	5.65
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.20	2.20
49–चिकित्सा व्यय	60.00	60.00
51–वर्दी व्यय	0.80	0.80
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	310.00	310.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	100.22	100.22
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
योग : 03	9065.69	9065.69
योग : 793	9065.69	9065.69
योग : 01	146770.55	146620.55
80–सामान्य		
101– अनधिसूचित तथा अन्य खानाबदोश जनजातियों का कल्याण		
03– अखिल भारतीय बंजारा उदासीन आश्रम, वृन्दावन रोड़, मथुरा को अनावर्तक अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	0.00
योग : 101	0.00	0.00
102– स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान		
03– डा0 अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना		
20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	2.80	0.00
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	12.00	0.00
योग : 03	14.80	0.00
योग : 102	14.80	0.00
800–अन्य व्यय		
03–शैक्षिक कार्यक्रम		
0301–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन		
01–वेतन	883.26	883.26
02–मजदूरी	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03–मंहगाई भत्ता	220.82	220.82
04–यात्रा व्यय	2.00	2.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	0.05	0.05
08–कार्यालय व्यय	4.02	4.02
09–विद्युत देय	14.30	14.30
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.65	1.65
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.32	1.32
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	1.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	2.00	2.00
29–अनुरक्षण	3.50	3.50
39–औषधि तथा रसायन	2.25	2.25
41–भोजन व्यय	200.00	200.00
42–अन्य व्यय	0.80	0.80
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	80.00	80.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
49–चिकित्सा व्यय	2.50	2.50
51–वर्दी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	50.00	50.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	10.00	10.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00
योग 0301	**1486.07**	**1486.07**
0302– विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों के		
संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	440.00	73.33
योग : 03	**1926.07**	**1559.40**
04– पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/अनावर्ती		
सहायता (कक्षा 1से 10 तक के छात्रों के लिये)		
0401–राज्य योजना		
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	**0.00**	**0.00**
05–आर्थिक उत्थान		
0501–राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण		
01–वेतन	208.19	208.19
03–मंहगाई भत्ता	52.05	52.05
04–यात्रा व्यय	0.40	0.40
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	0.50	0.50
08–कार्यालय व्यय	0.55	0.55
09–विद्युत देय	1.50	1.50
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.66	0.66
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.33	0.33
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	0.20	0.20
29–अनुरक्षण	1.00	1.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
49–चिकित्सा व्यय	1.20	1.20
51–वर्दी व्यय	0.03	0.03
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	13.00	13.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	3.00	3.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.10	0.10
योग : 0501	**286.21**	**286.21**
0503–विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र		
01–वेतन	27.01	27.01
03–मंहगाई भत्ता	6.75	6.75
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15	0.15
06–अन्य भत्ते	0.25	0.25
07–मानदेय	0.01	0.01
08–कार्यालय व्यय	0.22	0.22
09–विद्युत देय	2.00	2.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.20	0.20
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00
42–अन्य व्यय	0.00	0.00
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.20	0.20
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.20
49–चिकित्सा व्यय	0.50	0.50
51–वर्दी व्यय	0.02	0.02
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	1.50	1.50
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.50	0.50
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.50	0.50
योग : 0503	**40.11**	**40.11**
योग : 05	**326.32**	**326.32**
योग : 800	**2252.39**	**1885.72**
योग : 80	**2267.19**	**1885.72**
योग 2225	**149037.74**	**148506.27**
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
01–पुनर्वास		
800–अन्य व्यय		
03–कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता		
20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	27.81	**27.81**
योग : 800	**27.81**	**27.81**
योग : 01	**27.81**	**27.81**
02– समाज कल्याण		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

104–वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण		
02– वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं		
को सहायता		
20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	5000.00
03–वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह		
01–वेतन	46.35	46.35
03–मंहगाई भत्ता	11.59	11.59
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.20	0.20
07–मानदेय	0.01	0.01
08–कार्यालय व्यय	0.15	0.15
09–विद्युत देय	0.50	0.50
10–जलकर/जल प्रभार	0.25	0.25
11–लेखन सामग्र और फार्मो की छपाई	0.15	0.15
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.25	0.25
17–किराया, उपशुल्क और कर –स्वामित्व	1.00	1.00
29–अनुरक्षण	0.30	0.30
41–भोजन व्यय	3.00	3.00
42–अन्य व्यय	0.10	0.10
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	1.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
49–चिकित्सा व्यय	0.60	0.60
51–वर्दी व्यय	0.02	0.02
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	2.50	2.50
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.00	1.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00
योग : 03	**71.27**	**71.27**
04– भिक्षावृति का निवारण		
01–वेतन	419.21	419.21
03–मंहगाई भत्ता	104.80	104.80
04–यात्रा व्यय	0.50	0.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.30	0.30
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
08–कार्यालय व्यय	1.00	1.00
09–विद्युत देय	2.00	2.00
10–जलकर/जल प्रभार	0.50	0.50
11–लेखन सामग्र और फार्मो की छपाई	0.50	0.50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
13–टेलीफोन पर व्यय	0.15	0.15
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.50
17–किराया, उपशुल्क और कर –स्वामित्व	1.65	1.65
29–अनुरक्षण	0.50	0.50
41–भोजन व्यय	5.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

42–अन्य व्यय	0.15	0.15
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.00	2.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
49–चिकित्सा व्यय	0.72	0.72
51–वर्दी व्यय	0.08	0.08
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	25.00	25.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	6.72	6.72
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग : 04	**578.78**	**578.78**
0502–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	45000.00	45000.00
योग : 05	**45000.00**	**45000.00**
06–वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	600.00	600.00
योग : 104	**51250.05**	**51250.05**
107–स्वेच्छा संगठनों को सहायता		
03– मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान		
20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	15.00	7.50
31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन)	1333.85	1333.85
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	0.00
योग : 03	**1348.85**	**1341.35**
05– समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों में लगे स्वेच्छिक संगठनों को सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1.00	0.00
योग : 107	**1349.85**	**1341.35**
200–अन्य कार्यक्रम		
03– आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन		
यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम् (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति		
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	2500.00	2500.00
06–सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	5000.00
07–आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के अश्रित छात्रों		
को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति		
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	50000.00	50000.00
09–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण		
02–मजदूरी	20.00	20.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16.00	16.00
13–टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
42–अन्य व्यय	42.50	42.50
46–कम्प्यटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	380.00	380.00
योग : 09	**474.50**	**474.50**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10–मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	50.00	0.00
12–मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	25000.00	25000.00
योग : 200	**83024.50**	**82974.50**
800–अन्य व्यय		
03–आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था		
01–वेतन	39.83	39.83
03–मंहगाई भत्ता	9.96	9.96
06–अन्य भत्ते	0.25	0.25
07–मानदेय	0.01	0.01
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00
39–औषधि तथा रसायन	0.30	0.30
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.15	0.15
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	1.50	1.50
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.50	0.50
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	1.25	1.25
योग : 03	**53.75**	**53.75**
योग : 800	**53.75**	**53.75**
योग : 02	**135678.15**	**135619.65**
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
03–वृद्धावस्था/किसान पेंशन		
0301–अधिष्ठान		
01–वेतन	338.00	338.00
03–मंहगाई भत्ता	84.50	84.50
04–यात्रा व्यय	2.75	2.75
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	1.00	1.00
07–मानदेय	0.20	0.20
08–कार्यालय व्यय	1.65	1.65
09–विद्युत देय	2.00	2.00
10–जलकर/जल प्रभार	0.50	0.50
11–लेखन सामग्र और फार्मों की छपाई	1.00	1.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.50
49–चिकित्सा व्यय	6.60	6.60
51–वर्दी व्यय	0.15	0.15
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	21.00	21.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	7.00	7.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00
योग : 0301	**469.35**	**469.35**
योग : 03	**469.35**	**469.35**
05–समाजवादी पेंशन योजना		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	0.00
योग : 102	469.35	469.35
योग : 80	469.35	469.35
योग : 2235	136175.31	136116.81
पूँजी लेखा—		
4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
80–सामान्य		
001– निदेशन तथा प्रशासन		
03–समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन, लखनऊ के परिसर में कार्यालय भवन का निर्माण		
24–वृहत् निर्माण कार्य	0.00	0.00
योग : 001	0.00	0.00
योग : 80	0.00	0.00
योग : 4059	0.00	0.00
योग 2013	0.35	0.35
योग 2225	149037.74	148506.27
योग 2235	136175.31	136116.81
योग 4059	0.00	0.00
महायोग(2013+2225+2235+4059)	285213.40	284623.43

(रू0–अठ्ठाइस अरब छियालीस करोड़ तेईस लाख तेतालीस हजार मात्र)

01/04/2020

भवदीय,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।